मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

पीठासीन अधिकारी :–भागीरथ राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–164 / 2023

1. अंगद कुमार पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।

— — वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
2. विनोद पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
3. कृष्णा पत्नी स्व0 रंधावासिंह उर्फ लीलूराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. मंजीत पुत्र स्व0 रंधावासिंह उर्फ लीलूराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
5. सुमित पुत्र स्व0 रंधावासिंह उर्फ लीलूराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
6. कौशल्या पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छानीबड़ी जारिये शाखा प्रबंधक।
8. तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

— —प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :— 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री **दिनांक :— 12.01.2026**

वादी की ओर से श्री सुनील बेनीवाल अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजेन्द्र बेनीवाल अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.01.2026 को भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार किये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित गोपाल के नाम से चक नम्बर 3 ए.एम.एस. के खाता संख्या 23 / 21 में कुल 5.819 हैक्टर आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 3 ए.एम.एस. के खाता संख्या 23 / 21 में से गोपाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:33:16 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

हर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
(वा)द पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
(श)क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
(मु)द्दर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:16 IST
Reason: SelfAttested